न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रदीपसिंह सागांवत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या डिकी 166 सन 2022
पंजीयन दिनांक 2.12.2022

1.भैरा पिता उदा मीणा मृतक के बजाय–
1/1 जमनी पुत्री भैरा पत्नी देवा उर्फ देवीसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा हाल मुकाम कल्याणपुरा तहसील बडीसादडी ।
2. देवा उर्फ देवीसिंह पिता पुरा उर्फ भूरा मीणा निवासी–पुरियाखेडा हाल मुकाम कल्याणपुरा तहसील बडीसादडी ।
3. नारायण पिता कालू मीणा मृतक के बजाय–
3/1 खेमसिंह पिता नारायण मीणा निवासी–पुरियाखेडा तहसील बडीसादडी ।
3/2 मु.नानीबाई बेवा नारायण मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
4.गांगा पिता लिम्बा मीण मृतक के बजाय–
4/1 लक्षमण पिता गांगा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
4/2 उदी बेवा गांगा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
5.खेमा पिता धुला मीणा मृतक के बजाय–
5/1भेरू पिता खेमा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
5/2सुरेश पिता खेमा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
5/3 प्यारी बेवा खेमा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
6.वेणा पिता मोडा मीणा मृतक के बजाय–
6/1 रूपसिंह पिता वेणा मीणामृतक के बजाय–
6/1/1 गोपाल पिता रूपसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
6/1/2 कालू पिता रूपसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
6/1/3 फुलीबाई बेवा रूपसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ ।

–अपीलांटस

विरूद्ध

मिठुलाल पिता मोतीलाल धींग निवासी–बोहेडा तहसील बडीसादडी ।
2 रामसिंह पिता नारायण मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
3 मोहन पिता खेमा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
4 मनोहर पिता रूपसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
5 आजाद पिता सुलेमान खान जाति मुसलमान निवासी–बोहेडा ।
6 फकरू पिता सुलेमान खान जाति मूसलमान निवासी–बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ ।

–रेस्पोडेन्टस

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिकी सहायक जिलाधीश निम्बाहेडा
प्रकरण संख्या 109/1977 निर्णय दिनांक 18.03.1978

उपस्थित– श्री एस.के. आझा–अधिवक्ता अपीलांट
श्री चन्दनमल जणवा–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 01

–0–

निर्णय **दिनांक 27.12.2023**

प्रकरण के तथ्य सक्षैप में इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पिता ने एक वाद विचारण न्यायालय सहायक जिलाधीन निम्बाहेडा के न्यायालय में राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53–188–183 के अन्तर्गत मौजा पुरियाखेडा तहसील बडीसादडी में स्थित कृशि भूमि खसरा नम्बर 1378,1379,1381,1413,1429,1412,1430,1377 कुल किता–8 रकबा 10 बीघा 7 वि वा के सबंध में पेश किया गया जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 18.3.1978 को वादी का वाद डिकी किया गया इस निर्णय व डिकी से असन्तुष्ट होकर अपील अपीलांट रेस्पोडेन्ट ने इस न्यायालय में बैरून मियाद 56 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की है ।अपील के साथ धारा 5 कानून म्याद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के साथ प्रस्तत की गयी

इस न्यायालय में अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टको जरिये नोटीस तलब किया गया अधीनस्थ विद्वान न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर हक किता की गयी व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट प्रतिवादी ने बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदनकिया गया कि अधीनस्थ विद्वानप विचारण की निर्णय वडिकी धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्व ऐसी स्थिति में अपील यदि गुणावगुण के आधार पर ठौस हे तो म्याद का बिन्दु सहायक हो जाता है जिससे अपीलार्थीगण प्रतिवादगण की ओर से प्रस्तत अपील स्वीकार योग्य है ।

अधिवकता रेस्पो 01 ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ विद्वान विचारण के द्वारा पारित निर्णय वडिकी को गुणावगुण पर सही होना व काफी विलम्ब से प्रस्तुत होना बताते हुये अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर प्रस्तुत अपील को सारहीन व म्याद बाहर होना बताते हुये निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी को अवैधानिक होना बताते हुये स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया ।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली व न्यायालय हाजा की पत्रावली का अवलोकन किया गया अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने उभ्यपक्ष को सुना जाकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में उपस्थित हुये व अन्य प्रतिवादीगण अधीनस्थ विवारण न्यायालय में अनुपस्थित रहे प्रतिवादीगण व अपीलांटगण एक ही परिवार से होकर एक ही मूल पूरूष के उत्तराधिकारी है दिनांक 16.3.1978 को प्रतिवादगण के अधिवक्ता ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

हिदायत पैरवी नहीं होना अंकित किया है जिससे अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्टसंख्या0 1 वादी के पिता को गुणावगुण पर सुना जाकर वाद पत्र डिकी किया है अधीनस्थ विचारण न्यायालय में जो बहनामा प्रस्तुत हुआ है वो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व का है जिससे भी अपीलार्थीगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील जो 56 वर्ष म्याद बाहर है बिना गुणावगुण पर विश्लेषण किये हुये म्याद के बिन्दु परभी स्वीकार योग्य नहीं है ।

अतः अपील अपीलांट प्रतिवादीगण अस्वीकार की जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा–5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र अस्वीकार किया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील बेरून म्याद होने से अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 109/1977 निर्णय व डिकी दिनांक 18.3.1978 यथावत रखा जाता है ।डिकी पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीपसिंह सांखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

सख्यांक ७

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- प्रदीप सिंह सांगावत, (आर.ए.एस)

अपील सं.:- 166/2022/डिक्री

1.भैरा पिता उदा मीणा मृतक के बजाय–
1/1 जमनी पुत्री भैरा पत्नी देवा उर्फ देवीसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा हाल मुकाम कल्याणपुरा तहसील बडीसादडी ।
2. देवा उर्फ देवीसिंह पिता पुरा उर्फ भूरा मीणा निवासी–पुरियाखेडा हाल मुकाम कल्याणपुरा तहसील बडीसादडी ।
3. नारायण पिता कालू मीणा मृतक के बजाय–
3/1 खेमसिंह पिता नारायण मीणा निवासी–पुरियाखेडा तहसील बडीसादडी ।
3/2 मु.नानीबाई बेवा नारायण मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
4.गांगा पिता लिम्बा मीण मृतक के बजाय–
4/1 लक्षमण पिता गांगा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
4/2 उदी बेवा गांगा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
5.खेमा पिता धुला मीणा मृतक के बजाय–
5/1भेरू पिता खेमा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
5/2सुरेश पिता खेमा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
5/3 प्यारी बेवा खेमा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
6.वेणा पिता मोडा मीणा मृतक के बजाय–
6/1 रूपसिंह पिता वेण मीणामृतक के बजाय–
6/1/1 गोपाल पिता रूपसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
6/1/2 कालू पिता रूपसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
6/1/3 फुलीबाई बेवा रूपसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ ।

–अपीलांटस

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

विरूद्व

1 मिठुलाल पिता मोतीलाल धींग निवासी–बोहेडा तहसील बडीसादडी ।
2 रामसिंह पिता नारायण मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
3 मोहन पिता खेमा मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
4 मनोहर पिता रूपसिंह मीणा निवासी–पुरियाखेडा ।
5 आजाद पिता सुलेमान खान जाति मुसलमान निवासी–बोहेडा ।
6 फकरू पिता सुलेमान खान जाति मूसलमान निवासी–बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ ।

–रेस्पोडेन्टस

विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 109/77 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.03.1978 वाद पत्र धारा 88,183व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : अपील अपीलांट प्रतिवादीगण अस्वीकार की जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा–5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र अस्वीकार किया जाकर अपीलांटगण प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत अपील बेरून म्याद होने से अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 109/1977 निर्णय व डिकी दिनांक 18.3.1978 यथावत रखा जाता है ।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि 0 रूपये है........................ द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं । यह आज दिनांक 27.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

(प्रदीप सिंह सांगावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ